भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *403
(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)
स्वतंत्र निदेशकों के कार्य

*403. डॉ. कंभमपति हरिबाबूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक कंपनियों के अच्छे और खराब कार्यों के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं;
(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों की जांच के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी
ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कितने स्वतंत्र निदेशकों को सरकारी उपक्रम-वार दंडित किया गया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**
(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 23.03.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 403 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): (i) स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की भूमिका और दायित्व कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 177, 178 और 135 में निर्धारित किए गए हैं और इनका उद्देश्य कंपनियों में कारपोरेट शासन मानकों में सुधार करना है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और इसकी समितियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्र फैसला और मूल्य संवर्धन; बोर्ड या प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना; अल्प शेयरधारकों आदि सहित सभी हितबद्धों के हितों की रक्षा करना आदि शामिल हैं। किसी कंपनी के निदेशक-बोर्ड के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सभी निदेशक कंपनी की कार्य-प्रणाली के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(ii) चूंकि स्वतंत्र निदेशक कंपनियों की प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 149(12) में प्रावधान है कि कोई स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा जो कार्य बोर्ड कार्रवाई के माध्यम से उसके संज्ञान में किए गए, और उसकी सहमति या मिली भगत से किए गए या जहां उसने सावधानी से कार्य नहीं किया हो।

(iii) अधिनियम की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों के अनुसरण में, सूचीबद्ध और अपेक्षाकृत बड़ी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के लिए अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में वह रीति दर्शाते हुए एक विवरण प्रकट करना अपेक्षित है जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी स्वयं की और उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है। सरकारी कंपनियों के मामले में, ये प्रावधान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, या राज्य सरकार की अपनी स्वयं की कार्यपद्धति, जैसा भी मामला हो, द्वारा निदेशकों का मूल्यांकन किए जाने के मामले में लागू नहीं होते हैं।

(iv) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को कंपनी अधिनियम के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए दंडित नहीं किया गया है।

*****